78 / 2023

बमुक0: महेन्द्रसिंह बनाम नरेन्द्रसिंह वगैरा

दावा बटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
02-08-2023	दावा बाद जांच कार्यालय से पेश हुआ। वादी वकील उपस्थित। वादी वकील को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 24.08.2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी सैपऊ	
24-08-2023	पत्रावली पेश/वकील प्रार्थी/~~अप्रार्थी~~ उप./ P.O. सा. राजकार्य में व्यस्त है पूर्वानुसार पत्रावली दि..2-11-2023.को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
2-11-2023	पत्रावली पेश/वकील प्रार्थी/[illegible] उप./ P.O. सा. राजकार्य में व्यस्त है पूर्वानुसार पत्रावली दि..4-1-2024....को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
4-1-2024	पत्रावली पेश/वकील वादी उप./ P.O. सा. राजकार्य में व्यस्त है पूर्वानुसार पत्रावली दि..7-3-2024....को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
7-3-2024	पत्रावली पेश/वकील वादी उप./ P.O. सा. राजकार्य में व्यस्त है पूर्वानुसार पत्रावली दि..16-5-2024...को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
16/5/24	पत्रावली पेश/वकील वादी उप./ P.O. सा. राजकार्य में व्यस्त है पूर्वानुसार पत्रावली दि.8/8/24.......को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
8-8-२४	पत्रावली पेश/वकील वादी उप./ P.O. सा. राजकार्य में व्यस्त है पूर्वानुसार पत्रावली दि..१-११-२४......को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Scanned with CamScanner

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
7-11-24	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित PO सहाब का स्थानान्तरण हो चुका है पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 30-01-25 को पेश हो।
30/1/25	पत्रावली पेश/वकील वादी उप./ P.O. सा. राजकार्य में व्यस्त है पूर्वानुसार पत्रावली दि. 15/4/25 को पेश हो।
24/4/25	पत्रा० ~~पेश हुई~~ वकील वादी द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई प्रा०पत्र पर दफ्तर से तलब की गयी। वकील वादी द्वारा प्रा०पत्र O 23 Rule 1 CPC वास्ते वापिस दावा (विड्रॉल) पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है वादी अपने वाद में आगे कार्यवाही चलाना नहीं चाहता हूँ अत: में वादी का वाद खारिज (विड्रॉल) किए जाने हेतु निवेदन किया। सुना वकील वादी को सुना। एवं पत्रा० का अवलोकन किया। वकील वादी द्वारा पक्षकारों के मध्य राजीनामा होना जाहिर करते हुए दावा इसी स्तर पर खारिज / विड्रॉल किए जाने बाबत निवेदन किया है। अत: वकील वादी की प्रार्थना पर दावा वादीगण इसी स्तर पर खारिज / विड्रॉल किया जाता है। पत्रा० फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी